



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2013/30.12.2013

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 04.02.2014

राज्य सेवा परीक्षा 2013

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 13.04.2014

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2013 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे। आयु की गणना 01 जनवरी, 2014 के संदर्भ में की जायेगी।
2. उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग अथवा एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2013 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.01.2014 को (दोपहर 12.00 बजे) से दिनांक 04.02.2014 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2014 से 06.02.2014 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि ₹ 90/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/ निःशक्त /भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक) आदिके आधार पर ही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
6. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 13.04.2014 को आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 21.03.2014 से 11.04.2014 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे।
7. विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रसारित की जायेंगी। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के परिणाम भी केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायेंगे अतः आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करें।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा।

01. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या का निर्धारण शासन के विभागों में संचारित रोस्टर के अनुसार किया गया है। भरी जाने वाली रिक्तियों निम्नानुसार हैं –

स.क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अना.	अनु. जाति	अजजा	अपिव	अना.	अनु. जाति	अजजा	अपिव				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
द्वितीय श्रेणी													
सामान्य प्रशासन विभाग													
01.	उप जिलाध्यक्ष	04	01	—	—	01	—	—	—	—	01 अनारक्षित वर्ग अस्थिबाधित	05	15600—39100+5400 ग्रेड पे
गृह (पुलिस) विभाग													
02.	उप पुलिस अधीक्षक	15	05	06	04	05	01	02	01	—	—	30	15600—39100+5400 ग्रेड पे
जेल विभाग													
03.	अधीक्षक, जिला जेल,	02	01	02	—	—	—	—	—	—	—	05	15600—39100+5400 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
04.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	02	01	01	01	01	—	—	—	—	—	05	15600—39100+5400 ग्रेड पे
05.	जिला पंजीयक,	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	15000—39100+5400 ग्रेड पे
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग													
06.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ख" श्रेणी	08	03	02	03	02	01	01	01	—	—	16	15600—39100+5400 ग्रेड पे
जनसंपर्क विभाग													
07.	सहायक संचालक	06	—	02	01	02	—	01	—	—	—	09	15600—39100+5400 ग्रेड पे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग													
08.	सहायक संचालक, जिला आपूर्ति अधिकारी	01	—	01	—	—	—	—	—	—	—	02	15600—39100+5400 ग्रेड पे
महिला एवं बाल विकास विभाग													
09.	सहायक संचालक	17	06	09	04	05	02	03	01	—	01 अनारक्षित वर्ग अस्थिबाधित	36	15600—39100+5400 ग्रेड पे
10.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	05	01	06	02	02	—	02	—	—	—	14	9300—34800+3600 ग्रेड पे
परिवहन विभाग													
11.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	08	03	05	04	02	01	02	01	—	01 अनारक्षित वर्ग अस्थिबाधित	20	9300—34800+3600 ग्रेड पे (विभागीय भर्ती नियम अनुसार द्वितीय श्रेणी)
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)													
जेल विभाग													
12.	सहायक जेल अधीक्षक	06	02	—	01	01	—	—	—	—	—	09	5200—20200+2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
13.	आबकारी उप निरीक्षक,	10	03	03	03	03	01	01	01	01 पद अनारक्षित	—	19	5200—20200+2800 ग्रेड पे
14.	उप पंजीयक,	04	01	01	—	01	—	—	—	—	—	06	5200—20200+2800 ग्रेड पे
राजस्व विभाग													
15.	नायब तहसीलदार,	29	10	12	08	09	03	05	02	कुल 06 पद 03 अना. 01 अजा. 01 अजजा 01 अपिव	01 अनारक्षित वर्ग श्रवणबाधित 01 अजा दृष्टिबाधित 01 अजजा दृष्टिबाधित 01 अपिव अस्थिबाधित	59	9300—34800+3600 ग्रेड पे
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग													
16.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी "ग" श्रेणी	13	04	06	04	04	01	02	01	—	—	27	9300—34800+3600 ग्रेड पे
											कुल पद	263	

- टीप : 1 तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।
- 3 प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 4 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे । जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं है उनपर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे ।
- 5 निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पदों की संख्या माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 6761/2003, निलेश सिंघल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्षीन तथा परिवर्तनशील हो सकती है ।

अत्यंत महत्वपूर्ण :

आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे । ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्ता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, ग्रीन कार्ड, विक्रम पुरस्कार, परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा

02. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे । ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे ।
03. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी । विज्ञापित पदों के अलावा नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/ पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में शासन से प्राप्त होने पर इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे ।
04. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
- परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा ।
- ब. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
- परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है ।

05. परीक्षा योजना :-

1. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित चरणों में होगी -
- (1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और
 - (2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित)
 - (3) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है ।

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जायेगी :-

प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	2 घंटे	200 अंक

यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/ अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयनसूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी।

3. (1) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ,ब,स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएँ। **(काले बाल पाइंट पेन से सही उत्तर के गोले को काला करें)**
- (2) प्रत्येक प्रश्नपत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।
- (3) प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।
- (4) प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।
4. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से लगभग 15 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे।
5. मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

06. प्रारंभिक परीक्षा के जिला केन्द्र –

कोड	परीक्षा केन्द्र	कोड	परीक्षा केन्द्र	कोड	परीक्षा केन्द्र	कोड	परीक्षा केन्द्र	कोड	परीक्षा केन्द्र
01	इन्दौर	11	जबलपुर	21	बडवानी	31	रायसेन	41	सीधी
02	उज्जैन	12	झाबुआ	22	बालाघाट	32	रीवा	42	सीहोर
03	उमरिया	13	टीकमगढ	23	बैतूल	33	विदिशा	43	हरदा
04	कटनी	14	दतिया	24	भिण्ड	34	शहडोल	44	होशंगाबाद
05	खण्डवा	15	दमोह	25	भोपाल	35	शाजापुर	45	अशोक नगर
06	खरगौन	16	देवास	26	मण्डला	36	शिवपुरी	46	बुरहानपुर
07	ग्वालियर	17	धार	27	मंदसौर	37	श्यापुर	47	डिण्डोरी
08	गुना	18	नरसिंहपुर	28	मुरैना	38	सतना	48	अनूपनगर
09	छतरपुर	19	नीमच	29	रतलाम	39	सागर	49	अलीराजपुर
10	छिंदवाडा	20	पन्ना	30	राजगढ	40	सिवनी	50	सिंगरोली
								51	आगरमालवा

नोट: आवेदक परीक्षा जिला केन्द्र कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। परीक्षा जिला केन्द्र किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

आयोग केन्द्रों में उपलब्ध स्थान के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र "पहले आओ-पहले पाओ" के सिद्धांत पर आवंटित करेगा। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारक नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आयोग परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा। आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके आवेदन पत्रों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा।

07. स्केलिंग पद्धति (Scaling method) –

- (01) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषयों में प्रश्न पत्र वार स्केलिंग पद्धति लागू की जाएगी। इसमें स्केलिंग (Scaling) निम्न सूत्र द्वारा की जाएगी:-

सूत्र-

स्केलड अंक = $M + (X - m) S/s$ जैसे कि -

M= राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के समस्त ऐच्छिक विषयों के समस्त प्रश्न पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का ओव्हरऑल माध्य (overall mean)

X= आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (raw

- marks)
m= किसी ऐच्छिक विषय के विशिष्ट प्रश्न पत्र में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का माध्य (mean)
S = सभी ऐच्छिक विषयों के सभी प्रश्न पत्रों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)
s = किसी ऐच्छिक विषय के प्रश्न पत्र के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

(02) अनिवार्य विषयों के अंकों की स्केलिंग नहीं होगी। प्रावीण्य सूची अनिवार्य विषयों के वास्तविक प्राप्तांकों तथा ऐच्छिक विषयों के स्केलड अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुने तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किए जाएंगे। नानस्केलड अंकों की जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी।

08. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास, भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की स्नातक उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये।

टीप-1 ऐसे अभ्यर्थी, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं उसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं दी गई है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा (मुख्य) में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होगा: परन्तु साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टीप-2 ऐसे उम्मीदवार भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी स्नातक उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

09. आयु सीमा एवं संगणना की तिथि-

आयु की गणना 01 जनवरी, 2014 के संदर्भ में की जायेगी।

- (अ) गृह विभाग, आबकारी विभाग तथा जेल विभाग के पदों के अतिरिक्त शेष पदों हेतु आवेदक ने 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 (चालीस) वर्ष की आयु पूरी न की हो
- (ब) गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक, आबकारी तथा जेल विभाग के अर्न्तगत जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक एवं अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) के पद हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

उप पुलिस अधीक्षक	20 वर्ष	25 वर्ष
जिला आबकारी अधिकारी	21 वर्ष	25 वर्ष
आबकारी उप निरीक्षक	20 वर्ष	30 वर्ष
अधीक्षक जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष
सहायक जेल अधीक्षक	18 वर्ष	30 वर्ष

गृह विभाग, जेल विभाग तथा आबकारी विभाग के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा उनके अपने भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी:

10. शारीरिक मापदंड

उप पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक, अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक जेल अधीक्षक के पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
				बगैर फुलाये से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
1	उप पुलिस अधीक्षक	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
2	जिला आबकारी अधिकारी		163	84	89
3	आबकारी उप निरीक्षक	पुरुष	165	81	86
		महिला	152.4	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
3	अधीक्षक, जिला जेल	पुरुष	168	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
4	सहायक जेल अधीक्षक	पुरुष	165	84	—
		महिला	158	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं

अधीक्षक, जिला जेल एवं सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए ।

11.
 1. आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-क देखें ।
 2. ऑनलाईन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-ख देखें ।
 3. आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट-ग देखें ।
12.
 1. परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट -एक देखें।
 2. प्रारम्भिक परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट -दो देखें।
 3. मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट -तीन देखें।

निरंतर.....

परिशिष्ट-क

आयु सीमा में छूट :-

(एक) उप पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक जिला जेल, सहायक जेल अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उप निरीक्षक हेतु निर्धारित छूटें उनके भर्ती नियमों के अनुसार रहेंगी।

(दो) अन्य पदों हेतु देय छूटें निम्नानुसार हैं -

(अ) अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण-

(एक) निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी :-

(क) महिला अभ्यर्थी (अनारक्षित/ आरक्षित/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा);

(ख) आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ;

(ग) मध्यप्रदेश सरकार तथा उसके निगम/ मंडल/ स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा नगर सैनिक;

(घ) न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता वाले शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति।

(दो) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यक्षीन होगी।

कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण: मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्रियों का आरक्षण)नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

"2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लडाकू या गैर लडाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।"

(तीन) अधिकतम 2 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने (पति/पत्नि) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तक:- यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी हो:

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पण: (1) जिला चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता के प्रमाण पत्र के आधार पर ही निःशक्त प्रवर्ग को आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलीकरण तथा अन्य फायदे मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं। अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, निःशक्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट तथा अन्य फायदे केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुज्ञेय होंगी। अन्य राज्यों के ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

(4) यदि अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसके पिता/पति क्रीमीलेयर में आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुज्ञेय आरक्षण तथा अन्य छूटें, उपलब्ध नहीं होंगी।

(छह) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावेदन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

निरंतर.....

परिशिष्ट-ख

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- राज्य सेवा परीक्षा 2013 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है –
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
 - उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क भुगतान कर आनलाइन आवेदन भर सकते हैं
 - स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Mastercard or VISA) के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
 - Mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
 - आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निः शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
 - ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरे।
 - ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
 - आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
 - आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसका आवेदन पत्र मिलेगा, जिसमें उसके द्वारा जमा किये गये ऑनलाइन शुल्क, Transition ID तथा आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। उक्त आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट कियोस्क द्वारा आवेदक को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। आवेदक उक्त आवेदन पत्र अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
 - आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें क्योंकि उक्त आवेदन पत्र में अंकित जानकारियों की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट ले सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2014 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 04.02.2014 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2014 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 06.02.2014 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि ₹ 90/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
- आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-**
 - मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनके लिये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ₹ 90/- देय होंगे।
 - निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ₹ 90/- देय होंगे।

-शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ₹ 180/- देय होंगे।

प्रत्येक आवेदक को उक्त शुल्क के अतिरिक्त ₹ 40/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 90/-	₹ 180/-
उपरोक्त के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

(मुख्य परीक्षा हेतु योग्य आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा)

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in>, www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्य प्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए <https://www.mponline.gov.in> पर Authorized Kiosk list Link देखें। आवेदक काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री) से भी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. परीक्षा दिनांक:- 13.04.2014

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

आवेदक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर



क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां तीन आप्शन दिखाई देंगे।

[Click here to Open Application Form](#)

[Pay for unpaid Application](#)

[Click here to view advertisement](#)

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले [Click here to view advertisement](#) को क्लिक कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक [Click here to Open Application Form](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां

को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करे [Link.](#)) दिखाई देगी। [Link.](#) को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg या gif फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाए। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे:-

1. क्रेडिट कार्ड।
2. इंटरनेट बैंकिंग।

1. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

2. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक आफ इंडिया की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबाएगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर अवश्य लें।

8- एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावे। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

9- यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से [Pay for unpaid Application](#) लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारीयों भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि “ऑनलाइन आवेदन” की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखे।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।

मप्र लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

फोन (0731) 2701624, 2701983

एमपीऑनलाइन लिमिटेड

निरुपम शापिंग मॉल

द्वितीय तल, अहमदपुर,

होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026

फोन (0755) दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या के लिए : विनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

टीप. आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

- 01 आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
- 02 किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये ।

2. अन्य निर्देश/जानकारी :-

1. प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/ निःशक्तता / विधवा/ परित्यक्ता /तलाकशुदा /भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसके परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी ।
2. प्रारंभिक परीक्षा ,मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तियों को नहीं जोडा जाएगा ।
3. प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियाँ जारी नहीं की जाती है ।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए ।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते/ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जाएगा । अभ्यर्थी के पते/ई-मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये पते/ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आगामी पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पता/ई-मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये पते/ई-मेल आई. डी. की सूचना न देने पर समस्त पत्रव्यवहार पुराने पते/ई-मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धोंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
8. पहचान चिन्ह :- उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
9. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
11. आवेदक की अर्हता/पात्रता देखिए परीक्षा नियम 6,8, 9,10 एवं 14। दंड/ शास्ति देखिये परीक्षा नियम 16

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **04.02.2014** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति :-

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह परिवचन (Under taking) (जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। समस्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन पत्र के साथ आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा परिणाम की सूचना में निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। अंतिम तिथि तक अनुप्रमाणन पत्र तथा वांछित अभिलेख जमा नहीं करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। अंतिम तिथि तक अनुप्रमाणन पत्र तथा वांछित अभिलेख जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र-हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियाँ।

जाति के प्रमाण पत्र-

उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दौवा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व, प्रेषित किये जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कड़िका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। अपेक्षित प्रमाण पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

निःशक्तता प्रमाण पत्र:-

निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर निःशक्त भी लिखें। (निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट-क की कड़िका-(दो-अ-4) के अर्न्तगत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा

तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र ।

परिशिष्ट-क की कंडिका-(दो -2 से 4, तक एवं दो -अ-9 से 13 तक)के अर्न्तगत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

परिशिष्ट-क की कंडिका-(दो - ब-1) के अर्न्तगत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड ।

परिशिष्ट-क की कंडिका-(दो -ब-2) के अर्न्तगत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

परिशिष्ट-क की कंडिका-(दो -ब-3) के अर्न्तगत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

परिशिष्ट-क की कंडिका-(दो -अ-2, 5, 6, 7 एवं 8) के अर्न्तगत छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकारी अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6. अनर्हताएँ :- ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
- 09 उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्यवहार, अपराधिक अभियोजन के लिए उसे दायी ठहराने के अलावा -
 - (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या
 - (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
 - (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
 - (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
 - (ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -
 - (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 - (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।
- 11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी वीक्षक के पास उसकी उत्तरपुस्तिका जमा करने में असफल रहता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किए जाने के दायित्वाधीन होगी तथा केन्द्राध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जा सकेगा।

7. प्रवेश पत्र -

- 01 किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा । जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो ।
- 02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे । प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा [https:// www.mponline.gov.in](https://www.mponline.gov.in) पर दिनांक 21.03.2014 से 11.04.2014 तक उपलब्ध होंगे । आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे । इस संबंध में किया गया

कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा । प्रवेश पत्र एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा ।

- 03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम. पी. आनलाइन से संपर्क करें ।
- 04 यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।
- 05 अत्यंत महत्वपूर्ण: आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-
- | | | |
|----------------------|---------------|--|
| 1. मतदाता परिचय पत्र | 2. आधार कार्ड | 3. ड्रायविंग लायसेंस |
| 4. आयकर का पेन कार्ड | 5. पासपोर्ट | 6. अध्ययनरत संस्था/ नियोक्ता संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र |
- 06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी । आयोग द्वारा मान्य पहचान चिन्ह एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।
- 07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है । आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा ।
- 08 निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक अनुप्रमाणन फ़ार्म एवं अभिलेखों के लिफाफे पर निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक स्पष्ट उल्लेख करें ।
- 09 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । नमूना निम्नानुसार है :-

अभिवचन (Undertaking)का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2013 के विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2013 दिनांक 30.12.2013 के अर्न्तगत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ । अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अर्न्तगत मान्य किया जाये । भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले अनुप्रमाणन पत्र के साथ संलग्न करें)

08 राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश:-

(अ) राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा

01. राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा ।
02. राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी । अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें ।
- 03 मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

- 01 राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल “रोज़गार और निर्माण” समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा ।
- 02 राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी । अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक सत्यापित अभिलेख संलग्न कर, मुख्य परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा करें । साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र में दी गयी योग्यता, उम्र, जाति एवं अन्य जानकारियों से संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- 03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09. यात्रा व्यय का भुगतान –

- 01 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों तथा 40% से अधिक निःशक्त आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:—
 - (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
 - (2) निःशक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
 - (3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले आवेदक अपने वर्तमान पते के निकटतम परीक्षा केन्द्र का ही चयन करें अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी ।
- 02 साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा ।

निरंतर.....

परिशिष्ट-ग

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः उत्तरपुस्तिका का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

- 1) आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाए।
- 2) गोले भरते के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर उत्तरपुस्तिका स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
- 3) उत्तरपुस्तिका पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है।
- 4) उत्तरपुस्तिका अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
- 5) उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तरपुस्तिका पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं।
- 6) आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✕) लगाने पर उत्तरपुस्तिका कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7. उत्तरपुस्तिका उप अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -

(अ) प्रश्नों के उत्तर : उत्तरपुस्तिका पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्तरपुस्तिका पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें।

(ब) उत्तरपुस्तिका के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, विषय का कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र ABCD set में दिए जायेंगे। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - उत्तरपुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) उत्तरपुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी, विषय संकेतांक के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। 'प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा।'

8. रोल न. की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नं. के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़ों का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नं. भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नं. काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

रोल नं.	चित्र 1				
6	8	4	0	2	1
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

9. जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD) मास (MON) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन कॉलम बने हैं। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपर्युक्त खानों को भरें। जैसे आपकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1971 है तो आप (DD) के कॉलम में दहाई के खाने में 1 का तथा ईकाई के खाने में 5 का गोला गहरा काला करेंगे। मास के कॉलम में SEP के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कॉलम में दहाई के खाने में 7 का तथा ईकाई के कॉलम में 1 का गोला गहरा काला करेंगे।

जन्मतिथि	चित्र 2			
1	5	SEP	7	1
DD	MON	YY		
0	0	Jan	0	0
1	1	Feb	1	1
2	2	Mar	2	2
3	3	Apr	3	3
4	4	May	4	4
5	5	Jun	5	5
6	6	Jul	6	6
7	7	Aug	7	7
8	8	Sep	8	8
9	9	Oct	9	9
		Nov		
		Dec		

10. श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)

इस खाने में 2 स्तम्भ दिये गये हैं पहला स्तम्भ दहाई दूसरा स्तम्भ ईकाई का है इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिये गये हैं आप अपनी श्रेणी कोड नंबर के अनुसार उपर्युक्त गोलों को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। जैसे – यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 तथा ईकाई के कॉलम में 2 को काला करें।

चित्र 3 श्रेणी	चित्र 4 ऐच्छिक विषय कोड क्रमांक
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
	5
	6
	7
	8
	9

11. ऐच्छिक विषय कोड क्रमांक प्रविष्टि (चित्र चार) का तरीका उदाहरणार्थ यदि आपका ऐच्छिक विषय कोड क्रमांक 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें तथा ईकाई के दूसरे कॉलम में 2 को काला करें।

विशेष सूचना

प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों में त्रुटि

आवेदक उसे प्राप्त प्रवेश पत्र में की गई प्रविष्टि की जांच करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे त्रुटि के निराकरण के लिये परीक्षा नियंत्रक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए एक आवेदन पत्र दें।
(1) त्रुटि का प्रकार (2) त्रुटि में वांछित सुधार (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पता (6) जन्मतिथि (7) अनुक्रमांक (8) प्रविष्टि क्रमांक (9) केन्द्र का नाम।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश राज्य सेवा परीक्षा

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भागी होगा, जो आयोग निर्धारित करें।

एक – प्रवेश –

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितान्त प्रावधिक है।
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। नियत समय के 15 मिनट पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र अपने साथ रखें।
4. अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्वस्त हों कि नियमों के अधीन वे परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठें।
5. परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी की मुख्य द्वार पर जाँच की जाएगी। अतः परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन एवं प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ ले जाएँ। इसके अतिरिक्त मोबाईल, केलक्युलेटर पेजर आदि के ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो – निर्गमन –

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
3. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। उत्तरपुस्तिका सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है।
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। केवल दस "अ" को छोड़कर। अतः निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन – नाम और अनुक्रमांक –

उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। उत्तरपुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ. एम. आर. उत्तरपुस्तिका में आपको दिये गये (A, B, C, D) में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही इसका मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

प्रश्नपत्र सेट

A	○
B	●
C	○
D	○

चार – अनुचित साधन –

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पाकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं है। वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तरपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से उत्तरपुस्तिका बदलना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

पांच – प्रश्न पत्र संबन्धित शिकायत –

यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे लिखित रूप से केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से या अलग से परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा तिथि से 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकेंगे। परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा।

छः – उत्तर शीट का लौटाना –

परीक्षा के उपरान्त उत्तरपुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में उत्तरपुस्तिका परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जायेगा और उसके लिये उसे उस तरह दंडित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

सात – उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ –

1. उत्तरपुस्तिका पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. उत्तरपुस्तिका पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ – प्रश्नपत्र पर अंकन –

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ – उपस्थिति पत्रक –

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस – सहलेखक –

(अ) केवल दृष्टिबाधित आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनट एवं मुख्य परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
(ब) ऐसे परीक्षार्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या अपने दाएँ बाएँ हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें केवल सहायक लेखक की सुविधा दी जायेगी, समय में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। सहायक लेखक की शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी से अधिक नहीं होना चाहिए। सह लेखक की व्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी। सह लेखक हेतु अनुमति केन्द्राध्यक्ष द्वारा ही प्रदान की जावेगी। इस हेतु आवेदक केन्द्राध्यक्ष से पर्याप्त समय पूर्व संपर्क करें। केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।

नोट – निःशक्त आवेदकों के लिये सी.एम.ओ. (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रायवेट डॉक्टर का प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। अन्य नियम यथावत रहेंगे।

ग्यारह – विविध –

1. किसी भी इंजीनियरिंग विषय के किसी भी प्रश्नपत्र में कोई भी चार्ट या टेबल (मोईलर चार्ट या स्टीम टेबल सहित) परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
2. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टैन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टैन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएँगे।
3. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केलक्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना मना है।

बारह – परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सुचनाएँ निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनका पालन करें। वे सतर्कता से इस उत्तरदायित्व को वहन करें।

तेरह – अनुशासन व शालीनता –

1. परीक्षा कक्ष में धुम्रपान करना / अशिष्ट अनर्गल, वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट उद्बुद्ध आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

चौदह – परीक्षार्थी को एक बार आवंटित परीक्षा संस्था या परीक्षा केन्द्र में प्रशासकीय सुविधा के अनुसार यथा आवश्यकता, यथा समय आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। यह परिवर्तन परीक्षा के दौरान भी किया जा सकेगा।


साँचव